भाग एक : खण्ड तीन

मध्य प्रदेश वन उपज (जैव विविधता का संरक्षण और पोषणीय कटाई) नियम 2005

अधिसूचना क्रमांक एफ. 25-135-दस-3 दिनांक 3 फरवरी, 2005 - भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का सं. 16) की धारा 76 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, जैव विविधता (वनस्पति और जंतु) के संरक्षण तथा सरकारी वन से उपज की पोषणीय कटाई के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम **मध्यप्रदेश वन उपज (जैव विविधिता का संरक्षण और पोषणीय कटाई) नियम, 2005 है।**

(2) ये नियम ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ- इन नियमों, में जब तक सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 सं. का 16);

(ख) ''प्राधिकृत अधिकारी'' से अभिप्रेत है इन नियमों में विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करने के लिए इन नियमों के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी जो उप वन संरक्षक की श्रेणी से निम्न श्रेणी का न हो;

(ग) ''निषिद्ध क्षेत्र'' से अभिप्रेत है ऐसा क्षेत्र, जो प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इन रूप में घोषित किया गया हो, जिसमें इन नियमों के नियम 5 के अधीन विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए, किसी विशिष्ट वन उपज के संग्रहण या निष्कर्षण को प्रतिषिद्ध किया गया है;

(घ) ''निषिद्ध मौसम'' से अभिप्रेत है एक वर्ष में की कतिपय कालावधि या कालावधियाँ जिसमें/जिनमें प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इन नियमों के नियम 4 के अधीन राज्य के वनों से विशिष्ट वन उपज के संग्रहण या निष्कर्षण को प्रतिषिद्ध किया गया है;

(ङ) ''वन क्षेत्र'' से अभिप्रेत है किसी ऐसे आरक्षित या संरक्षित वन क्षेत्र का कोई

संविभाग, खण्ड या कोई अन्य प्रशासनिक या प्रबन्धन इकाई जो राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इन नियमों के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट किया गया/की गई हो;

(च) ''कटाई/संग्रहण/निष्कर्षण'' से अभिप्रेत है आरक्षित या संरक्षित वनों में या वहाँ से वन उपज को हटाने, उसका अभिचालन करने, कब्जा रखने या परिवहन का कार्य प्रक्रिया;

(छ) ''राज्य'' से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश राज्य;

(ज) ''पोषणीय कटाई सीमा'' से अभिप्रेत है वन उपज के उत्पाद पर भविष्य में प्रतिकूल रूप से प्रभाव डाले बिना और किसी पशु या पेड़ पौधे या उसके पुनर्जनन के उद्गम या उसकी संख्या के अनिष्ट के बिना वार्षिक या कालिक रूप से विनिर्दिष्ट वन से संग्रहीत या निष्कर्षित की जाने वाली उक्त उपज की उच्चतम सीमा;

(झ) ''पोषणीय कटाई की पद्धति'' से अभिप्रेत है ऐसी गैर विनाशक तकनीक तथा प्रौद्योगिकी जो किसी वन उपज के उत्पाद पर भविष्य में पआतिकूल रूप से प्रभाव डाले बिना और किसी पशु या पेड़ पौधे या उसके पुनर्जनन के उद्गम या उसकी संख्या के अनिष्ट के बिना वन से उक्त उपज को संग्रहीत या निष्कर्षित करने के लिए उपयोग में लाई जा सके;

(ञ) ऐसे शब्दों तथा अभिव्यक्तियों को, जिनका इन नियमों में प्रयोग किया है परन्तु परिभाषित नहीं किया गया है, वही अर्थ होगा, जो उन्हें अधिनियम में दिया गया है।

3. सरकारी वनों से वन उपज के पोषणीय संग्रहण या निष्कर्षण को सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाने की शक्ति– राज्य सरकार सरकारी वनों से वन उपज के संग्रहण या निष्कर्षण के सम्बन्ध में ऐसे कदम उठा सकेगी जो वह जैव विविधता के संरक्षण और वन उपज की पोषणीय कटाई को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे।

4. ''निषिद्ध मौसम'' घोषित करने की शक्ति– राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी सरकारी वन से वनस्पति तथा जीव-जन्तुओं की विभिन्न प्रजातियों के जीवनचक्र (लाइफ साइकल) के आधार पर वन उपज के संग्रहण निष्कर्षण की पोषणीय कटाई को सुनिश्चित करने के लिए एक वर्ष की कतिपय कालावधि या कालावधियों को निषिद्ध मौसम घोषित कर सकेगी/सकेगा।

5. निषिद्ध क्षेत्र घोषित करने की शक्ति– राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी वन उपज की भविष्य में पोषणीय कटाई को सुनिश्चित करने के लिए एक वर्ग की कतिपय वन क्षेत्र को विनिर्दिष्ट कालावधि हेतु वन उपज के संग्रहण या निष्कर्षण के लिए निषिद्ध क्षेत्र घोषित कर सकेगी/सकेगा।

6. पोषणीय कटाई सीमा विहित करने की शक्ति– राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी भविष्य में किसी विशिष्ट वर्ष में पोषणीय कटई को सुनिश्चित करने के लिए किसी वन उपज की, जो विनिर्दिष्ट वन क्षेत्र से संग्रहीत या निष्कर्षित की जा सकती है, मात्रा की सीमाएं विहित कर सकेगी/सकेगा।

7. पोषणीय कटाई पद्धति विहित करने की शक्ति– राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी भविष्य में पोषणीय कटाई को सुनिश्चित करने हेतु किसी वन उपज के लिए पोषणीय कटाई पद्धति विहित कर सकेगी/सकेगा।

8. कटाई के सम्बन्ध में हिताधिकारियों द्वारा रिपोर्ट– कोई व्यक्ति, जो सरकारी वनों से वन उपज संग्रहीत या निष्कर्षित कर रहा है, उसके द्वारा उपाप्त वन उपज के ब्यौरे उस प्राधिकारी को, जिसे विनिर्दिष्ट किया जाए, रीति में और ऐसे अन्तरालों पर जैसा विहित किया जाय, प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा।

9. वन मण्डलाधिकारी वन की सीमा के 5 कि.मी. के भीतर के समस्त ग्रामों में यथा साध्य डोडी पिटवाकर, या किसी अन्य युक्तियुक्त साधन द्वारा उपरोक्त नियम 4 से 8 के उपबन्धों की उद्घोषणा करेगा।

10. नियम भंग करने पर शक्ति– जो कोई भी इन नियमों के उपबन्धों में से किसी भी उपबन्ध करेगा वह अधिनियम की धारा 77 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

म.प्र. राज पत्र भाग 4 (ग) दि. 18.2.05 पृष्ठ 27–28 पर प्रकाशित